जनसूचना अधिकारी (जनसूचना प्रकोष्ठ)
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ (प्रशिक्षण पक्ष)
(इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–4, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर जिला– रायपुर)
(ई–मेल dettrgcg@rediffmail.com,फोन नंबर 0771–2510115)

क्रमांक–एफ 11–328 / संरोप्र / 2025 / सूअधि. / 897 / नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 / 11 / 2025

प्रति,

श्री बसंत कुमार
पता– गाज़िया नवागांव,
मुंगेली, जिला– मुंगेली (छ.ग.)
पिन नं.:– 495334

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।
संदर्भ :– आपका आवेदन प्राप्ति दिनांक 15.11.2025।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत चाही गई वांछित जानकारी की प्राप्ति हेतु राशि रू. 76/– जमा कर दिये जाने उपरान्त संबंधित अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई संचालनालय पत्र क्रमांक 1438, दिनांक 12.03.2019 द्वारा 'मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने के संबंध में जारी दिशा–निर्देश' की सत्यापित छायाप्रति 02 पृष्ठ एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 यथासंशोधित दिनांक 15 मई 2019 की सत्यापित छायाप्रति 36 पृष्ठ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

टीपः– यदि इस दिये गये जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप जनसूचना अधिकारी के जवाब के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–4, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0 को नियमानुसार 50/– रूपये की समुचित रसीद संलग्न कर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

Digitally signed by
Meena Ganvir
Date: 27-11-2025
14:12:46

(मीना गनवीर)
जनसूचना अधिकारी एवं
संयुक्त संचालक

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक / ई-मेल

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष)
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–04 प्रथम तल
अटल नगर रायपुर

Phone N0. 0771-2331341 E mail-dettrgcg@rediffmail.com

क्र.एफ 1–326/संरोप्र/स्थाप–प्र/व्य–/2019/ 1438 /अटल नगर, रायपुर दिनांक 12/03/2019
प्रति,

1. संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर,
बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग,
जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

2. समस्त प्राचार्य/संस्था प्रमुख,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
.............................छत्तीसगढ़।

विषय :– मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्य संपादित करने हेतु मेहामन प्रवक्ता आमंत्रित किये जाने के लिये समय–समय पर पूर्व में जारी दिशा–निर्देश को निरस्त करते हुये निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. संस्था में अति आवश्यक होने पर ही प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रशिक्षण देने हेतु मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने के लिये संस्थाओं से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर संयुक्त संचालक द्वारा अधिकृत जिले की नोडल संस्था स्तर पर विज्ञापन जारी कर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावे। चयन सूचियों का अनुमोदन क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जावे। विज्ञापन का प्रारूप संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित किया जावे।
2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर क्रम सूची तैयार की जावे। अनुभव आवश्यक नहीं है।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावे।
4. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
5. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
6. यदि स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्व से ही मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित हो तो इन पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रित करने की कार्यवाही न की जाये जब तक कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण अथवा शासन स्तर से उन्हें विस्थापित करने अथवा हटाने के स्पष्ट निर्देश न आ जावे।
7. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

क्रमशः.....2

अनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

8. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों /विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
10. पृथक–पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा।
11. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 100 रूपये की दर से, प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 10000 (दस हजार) रूपये मानदेय देय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
12. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
13. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी, या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेंगे। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
14. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिंदी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इसी प्रकार एम्प्लॉएबिलिटी स्किल में प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के आवेदक उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।
15. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह संयुक्त संचालक द्वारा निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक–01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

(विवेक आचार्य)
संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

पृ0क्र.एफ 1–326/संरोप्र/स्थाप–प्र/व्य–/2019/1439 /अटल नगर, रायपुर दिनांक 12/03/2019

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

अनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2019 — ज्येष्ठ 10, शक 1941

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 15 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–60/2013/कौ.वि./42.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 6 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।"

2. नियम 10 में, उप–नियम (1) में, चिन्ह एवं शब्द "/साक्षात्कार" का लोप किया जाये।

3. नियम 11 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।"

4. अनुसूची–एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

जनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

अलिपिकीय गैर–तकनीकी संवर्ग

7.	(क) छात्रावास अधीक्षक (बालक)	118	100%	—	—	
	(ख) छात्रावास अधीक्षक (बालिका)	6	100%	—	—	
8.	वाहन चालक	12	100%	—	—	
9.	फार्मासिस्ट	30	75%	25%	—	पदोन्नति के पद ऐसे पट्टी बंधको (ड्रेसर) से भरे जायेंगे, जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता हो।
10.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	27	100%	—	—	

लिपिकीय संवर्ग

11.	अधीक्षक (संचालनालय)	1	—	100%	—	
12.	सहायक अधीक्षक (संचालनालय) एवं अधीक्षक (मैदानी कार्यालय)	9	—	100%	—	
13.	सहायक लेखा अधिकारी	1	—	100%	—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा सहायक ग्रेड–एक के पद में 03 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो।
14.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	2	—	100%	—	
15.	सहायक ग्रेड–एक	87	—	100%	—	
16.	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	314	—	100%	—	
17.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	134	100%	—	—	
18.	सहायक ग्रेड–तीन	421	75%	25%	—	पदोन्नति के पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे, जो हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखते हों।
19.	स्टेनो टायपिस्ट	7	100%	—	—	—

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क.	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		तकनीकी संवर्ग		
1.	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो तथा टेलीविजन मेकेनिक व्यवसाय)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय

अनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

				(3) अनुभवः– उपाधि धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव पत्रोपाधि धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) अधिमान :– अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
22.	प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी)	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :– (क) शीघ्रलेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी) के लिये– हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीध्रलेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिए– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए– ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (झमल) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (4) अनुभव :– पत्रोपाधि धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/ब्रांच में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता

अनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

				प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (5) अधिमान :— अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी. टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई. /आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
23.	प्रशिक्षण अधिकारी (उपर्युक्त व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों के लिये)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) अनुभव :— उपाधि धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव पत्रोपाधि धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय/संकाय में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र धारियों के लिए : संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय में तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (4) अधिमान :— अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी. टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई. /आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो, को चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जायेगा।
24.	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा हिन्दी)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.
25.	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा अंग्रेजी)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.
26.	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन / एम्पलायबीलिटी स्किल)	—तदैव—	—तदैव—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन (बी.बी.ए.) में स्नातक उपाधि
27.	प्रशिक्षण अधिकारी			(1)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण,

अनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

	(इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्यूनिकेशन स्किल)	–तदैव–	–तदैव–	स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण.
28.	मेंटेनेन्स मैकेनिक	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. (2) अभ्यर्थी, व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

टीपः– (1) सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट आदि) से डी.जी.टी. के दिशा निर्देशानुसार अनुदेशक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। जिन व्यवसायों/विषयों में अनुदेशक प्रशिक्षण अथवा कोई अन्य प्रशिक्षण डी.जी.टी. के निर्देशानुसार नहीं होता है, उन व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण अधिकारियों को भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उक्त के अभाव में, परिवीक्षा अवधि, जो सामान्यतः 02 वर्ष की होगी, उसे बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु अधिकतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी।

(2) टीप क्रमांक–1 में उल्लिखित अनुदेशक प्रशिक्षण परीक्षा/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा।

(3) ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों, जो कि डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट आदि) से उत्तीर्ण है, उन अभ्यर्थियों को 10 अंको का अधिमान दिया जायेगा। उदाहरणार्थ–प्रतियोगी परीक्षा के 100 अंको में से यदि लिखित परीक्षा में 50 अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें 10 अंक अधिमान देते हुए उनका अंतिम चयन कर मेरिट अंक 60 होगा, शेष अभ्यर्थी, जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट आदि) से उत्तीर्ण नहीं हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रतियोगी परीक्षा के 100 अंको में से यदि लिखित परीक्षा में 50 अंक प्राप्त करते हैं तो उनका मेरिट अंक 50 होगा।

अलिपिकीय गैर–तकनीकी संवर्ग				
29.	(क) छात्रावास अधीक्षक (बालक)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में स्नातक (3) केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
	(ख) छात्रावास अधीक्षक (बालिका)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेनिंग) में स्नातक (3) केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
30.	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) हल्के / भारी वाहन चलाने का वैध लायसेंस होना चाहिये

जनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

दक्षता आधारित पाठ्यक्रम

आशुलिपिक सचिवीय सहायक (हिन्दी)

(अवधि: एक वर्ष)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी. टी. एस.)

एन. एस. क्यू. एफ. लेवल - 3.5

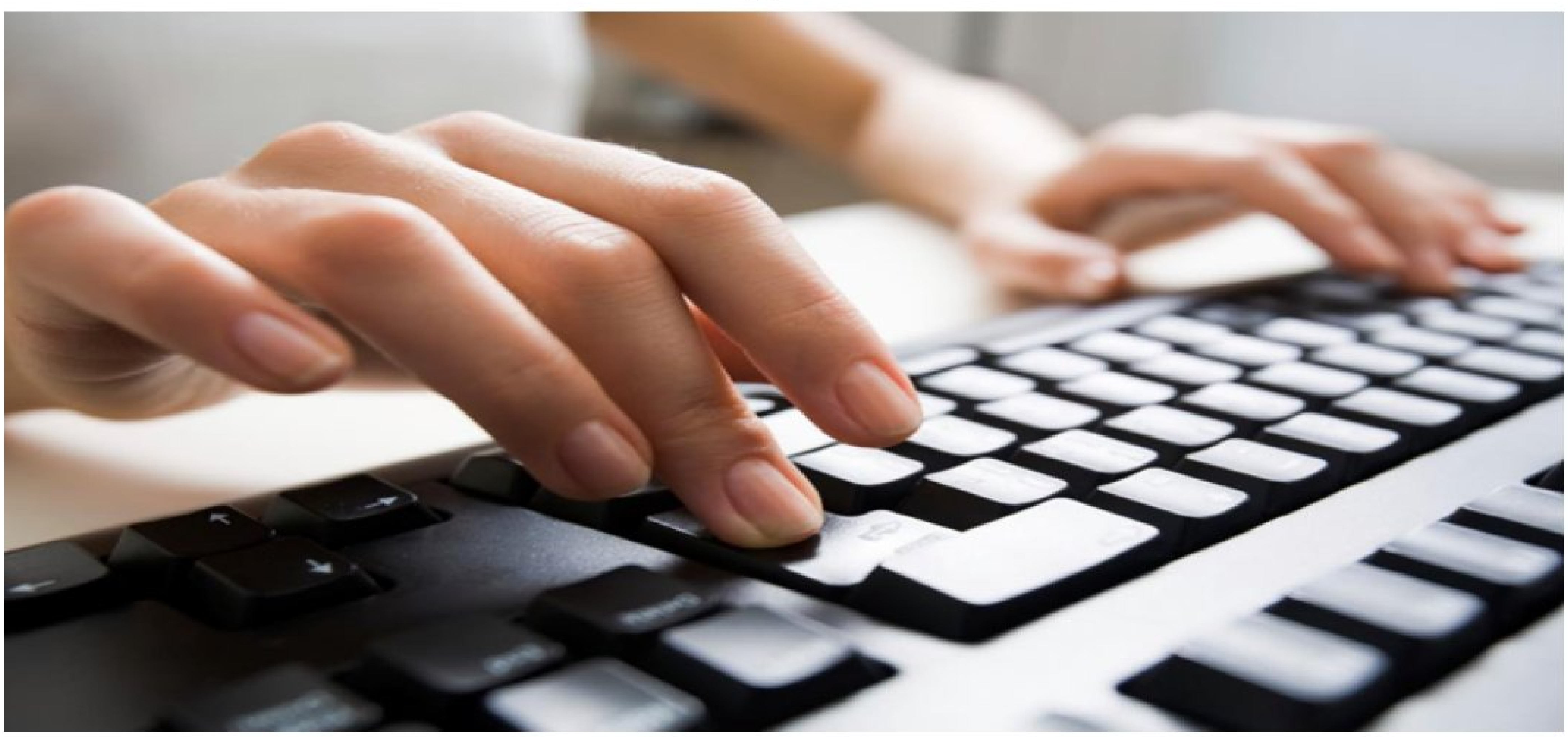

संविभाग (सैक्टर) - कार्यालय प्रशासन एवं सुविधा प्रबंधन

कौशल बलम्

Directorate General of Training

Scanned with OKEN Scanner

4. सामान्य विवरण

व्यवसाय	**आशुलिपिक सचिवीय सहायक (हिन्दी)**
व्यवसाय कोड	DGT/ 1017
एन. सी. ओ. – 2015	4131.0100, 4120.0100, 4120.0200, 4120.9900
एनओएस कवर किया गया	MEP/N0237, MEP/N0216,MEP /N0225,MEP /N9903,MEP /N0224, MEP/N0241, MEP/N0201,MEP /N0203,MEP /N0238
एन एस क्यु एफ लेवल	लेवल-3.5
शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण की अवधि	एक वर्ष (1200 घंटे + 150 घंटे नौकरी के साथ प्रशिक्षण (OJT)/ ग्रुप प्रोजेक्ट)
प्रवेश योग्यता	10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण
न्यूनतम आयु	वर्ष शैक्षणिक सत्र के पहले दिन 14
PwD के योग्यता	LD (LL), CP, LC, DW, AA, BLIND, LV, AUTISM
इकाई क्षमता	24 (अतिरिक्त (Supernumerary) सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)
वांछित भवन/ कार्यशाला एवं क्षेत्रफल	48 स्कवायर मीटर
आवश्यक विधुत भार	4 किलोवॉट
प्रशिक्षओं की योग्यताएँ	
(i) आशुलिपिक सचिवीय सहायक (हिन्दी) व्यवसाय	एक वर्षीय संबंधित अनुभव सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/ कला (शॉर्ट-हैंड और टाइपिंग के साथ) में स्नातक की उपाधि या दो वर्षीय संबंधित अनुभव सहित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा कमर्शियल प्रैक्टिस (न्यूनतम 2 वर्ष) में डिप्लोमा या तीन वर्षीय संबंधित अनुभव सहित **आशुलिपिक सचिवीय सहायक (हिन्दी)** में **एन.टी.सी. / एन.ए.सी.**

Scanned with OKEN Scanner

	अनिवार्य योग्यता- : DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के (नियमित/ आरपीएल) NCIC (राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र) प्राप्त **<u>नोट:-</u> 2 (1 + 1) की इकाई के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से, एक के पास डिग्री / डिप्लोमा और दूसरे के पास एन.टी.सी / एन.ए.सी. योग्यता होनी चाहिए। हालाँकि दोनों के पास किसी भी रूपांतर में NCIC होना चाहिए।**
(ii) रोज़गार कौशल (Employability Skill)	एमबीए / बीबीए/ किसी भी विषय में स्नातक / डिप्लोमा के साथ दो वर्ष का अनुभव एवं किसी भी DGT संस्थान से रोजगार कौशल में अल्पकालीन अवधि टी.ओ.टी. पाठ्यक्रम प्राप्त। (12 वीं / डिप्लोमा या उच्च स्तर में हिंदी/ संचार कौशल (Communication Skill) और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए) **या** आई.टी.आई. में मौजूदा सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक जिसने किसी भी डीजीटी संस्थान से रोजगार कौशल में अल्पकालीन अवधि टी.ओ.टी. पाठ्यक्रम प्राप्त।
(iii) प्रशिक्षक के लिए न्यूनतम आयु	21 साल
उपकरण की सूची	Annexure – I के अनुसार
प्रशिक्षण समयावधि का विभाजन समय (घंटों के अनुसार): (सांकेतिक)	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ0ग0)
(नवीन कम्पोजिट भवन, 3" फ्लोर, क.नं.-2,3,4)

दूरभाष क्रमांक 07752-250077 Email ID-jditlbsp@rediffmail.com

--बैठक दिनांक 05.08.2024 का कार्यवाही विवरण--

संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थाएं बिलासपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2024 को समय दोपहर 12:00 बजे क्षेत्र के अधीनस्थ जिला नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुये:-

1. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी (प्रतिनिधि) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली
2. श्री अरुण कुमार सिंह, प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी
3. श्री डी.के.तिवारी, प्रशिक्षण अधीक्षक, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी
4. श्री एम.एस.पराते, प्रशिक्षण अधीक्षक, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी
5. श्री गगन साहू, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पथरिया
6. श्री असीम मिश्रा, प्रशिक्षण अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा
7. श्री पी.एल.खुंटे, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़
8. श्री विपिन कुमार पटेल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरसिया
9. श्री प्रशांत शुक्ला, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली
10. श्री डी.एस.आरमो, प्रशिक्षण अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गौरेला
11. श्री सी.एल.गोड़, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकलतरा
12. श्री महेश राम पंकज, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर
13. श्री एस.के.गोण्डे, प्रशिक्षण अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा
14. श्री गिरिधर सिंह सिदार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जैजैपुर
15. श्री एम.आर.पटेल, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सारंगढ़

बैठक में निम्नानुसार एजेण्डा/बिन्दुओं पर चर्चा हुई-

वर्ष 2024-25 के लिए मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें जिला नोडल अधिकारियों को सलाह दी गई कि जिन व्यवसायों में पद स्वीकृत, रिक्त एवं अतिआवश्यक है, उन्हीं व्यवसायों के लिए मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावे और संचालनालय के मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रं. 1438 दिनांक 12.03.2019 के अनुसार की जावे। तद्नुसार निम्नानुसार औ.प्र.संस्थाओं के व्यवसायों के लिए मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की जानकारी दी गई-

क्रं.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम, जिसमें मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु संख्या
1.	मुंगेली	मुंगेली	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असि.हिन्दी	01
		पथरिया	वेल्डर	02
		लोरमी	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	02
			विद्युतकार	01
			फिटर	01
			Total	07

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

क्रं.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम, जिसमें मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु संख्या
2.	कोनी-बिलासपुर	आ.कोनी	सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस	01
			वायरमेन	01
			ट्रेक्टर मैकेनिक	01
			प्लम्बर	01
			इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक	02
			कोपा	01
			विद्युतकार	01
		म.कोनी	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असि.हिन्दी	01
			हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	01
		कोटा	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असि.हिन्दी	01
		तखतपुर	विद्युतकार	01
		बिल्हा	कोपा	01
			स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असि.हिन्दी	01
			मैकेनिक डीजल	02
			ड्राइवर कम मैकेनिक (डीसीएम)	01
			Total	**17**
3.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	गौरेला	मैकेनिक डीजल	01
		पेण्ड्रा	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असि.हिन्दी	02
			फिटर	01
		मरवाही	फिटर	01
			प्लम्बर	02
			Total	**07**
4.	कोरवा	म.कोरबा	कोपा	01
		पाली	वेल्डर	01
		चोरभटठी	फिटर	01
			Total	**03**
5.	जांजगीर	अकलतरा	विद्युतकार	01
		महुदा(बलौदा)	टर्नर	01
		बम्हनीडीह	कोपा	01
			Total	**03**
6.	सक्ती	सक्ती	विद्युतकार	02
			कोपा	01
			सिविंग टेक्नोलॉजी	01
		जैजैपुर	कोपा	01
		डभरा	सिविंग टेक्नोलॉजी	01
		हसौद	विद्युतकार	01
			Total	**07**

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली,जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम, जिसमें मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु संख्या
7.	रायगढ़	रायगढ़	सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस	01
		म.रायगढ़	ड्रेस मेकिंग	01
		खरसिया	वेल्डर	01
		धरमजयगढ़	कोपा	01
		तमनार	वेल्डर	01
		लैलूंगा	कोपा	01
			फिटर	01
			Total	07
8.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़	फिटर	01
			वेल्डर	01
		सरिया	वेल्डर	01
		भटगांव	वेल्डर	01
			फिटर	01
			Total	05
			Grant Total	56

टीप:-1. बैठक मे सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि आमंत्रित किये जाने वाले रिक्त पद पूर्व से कार्यरत नियमित/संविदा/मेहमान प्रवक्ता के अतिरिक्त होंगे।

2. जहां पर वर्कशाप केल्कुलेशन एंड साइंस/इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत है उनसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय जैसे फिटर, टर्नर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक इत्यादि व्यवसाय में प्रशिक्षण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2024-25 में उक्त संस्थाओ के लिए मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु निम्नानुसार समयावधि सर्वसम्मति से निर्धारित की गई-

स.क्रं.	विवरण	समयावधि (तिथि)
1.	जिला नोडल संस्था स्तर पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन	14.08.2024
2.	संस्थाओं मे आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि	30.08.2024
3.	जिला नोडल संस्था द्वारा संयुक्त मेरिट सूची, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची क्षेत्रीय कार्यालय को अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना।	13.09.2024
4.	संभाग स्तरीय स्क्रूटनी समिति की अनुसंशा के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची अनुमोदनोपरांत जिला नोडल संस्था को उपलब्ध कराना।	23.09.2024

प्राचार्य
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली,जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है पूर्व में गठित निम्नानुसार संभाग स्तरीय स्क्रूटनी समिति का गठन किया गया है:-

1. श्री गगन साहू, प्राचार्य वर्ग-2, औप्रसं. खमरिया
2. श्री डी.के.तिवारी, प्रशिक्षण अधीक्षक, आदर्श औप्रसं. कोनी-बिलासपुर
3. श्री एम.एस.पराये, प्रशिक्षण अधीक्षक, आदर्श औप्रसं. कोनी-बिलासपुर
4. श्री एस.के.गोण्डे, प्रशिक्षण अधीक्षक, औप्रसं. कोटा
5. श्री असीम मिश्रा, प्रशिक्षण अधीक्षक, औप्रसं. कोरबा

बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया है कि-

1. चयनित मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची में 1+19 (चयनित सूची-1 आवेदक एवं प्रतीक्षा सूची-19 आवेदक) के आधार पर सूची जारी की जावे और यदि 2 पद रिक्त हो तो 2+18 (चयनित सूची-2 आवेदक एवं प्रतीक्षा सूची-18 आवेदक) के आधार पर सूची जारी की जावे।
2. संयुक्त मेरिट सूची में आवेदकों के सम्मुख "सीटीआई सहित/सीटीआई रहित" अंकित करना है ताकि पृथक-पृथक सूचियां प्रदर्शित हो।
3. ऐसे आवेदन जिनमें संलग्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं है उन आवेदनों को मान्य नहीं किया जावे। (उक्त निर्देश को विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे।)
4. आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न नहीं होने पर मान्य नहीं किया जावे।
5. आवेदन पत्र अथवा शपथ-पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावे।
6. आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावे।
7. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है उस व्यवसाय मे एनटीआई/सीटीआई/सीआईटीएस/ आरव्हीटीआई/ आईटीओटी उत्तीर्ण की अंकसूची संलग्न न होने पर चयन मे प्राथमिकता नहीं दी जावे।
8. ऐसे आवेदन जिनमें तकनीकी योग्यता की अंकसूची के स्थान पर प्रोविजनल प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांको का प्रतिशत अंकित है को मान्य किया जावे।
9. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय/ विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग में उपाधि/ इंजीनियरिंग मे पत्रोपाधि/ पीजीडीसीए/ डीसीए/ एमसीए आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होगें उसी प्रमाण पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
10. व्यवसाय- स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिये चयन की कार्यवाही निम्न वरीयता के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
    (अ) सर्वप्रथम व्यवसाय- स्टेनाग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) हेतु चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय में शीघ्र लेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण-पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।
    (ब) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता(12 वी की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

PSO/प्राचार्य
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली,जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

(स) प्राप्त आवेदनो में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण-पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्ताकों के आधार पर चयन सूची तैयार कर की जावेगी ।

(द) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 80 शब्ध प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदको की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांको के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी ।

11. ऐसे आवेदक जो कि एससीव्हीटी/एनसीव्हीटी आईटीआई की अंकसूची एवं अप्रेंटिस की मार्कशीट संलग्न किये है परंतु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशाप कैल्कूलेशन एण्ड साईस, इंजीनियरिंग ड्रांइग के प्राप्तांक नहीं है ऐसे आवेदकों की एससीव्हीटी/एनसीव्हीटी के प्रमाण पत्रों की टेक्निकल अकों की गणना होगी।

12. राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन मान्य नहीं की जावे।

13. व्यवसाय स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में ऐसे आवेदक जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण है के आवेदन को मान्य नहीं किया जावे।

14. अभ्यर्थी द्वारा अंतिम सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें कुल प्राप्तांक व पूर्णांक स्पष्ट रूप से अंकित हो।

15. यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण (महिला उत्पीड़न संबंधी/अन्य किसी) में संलिप्तता है तो उसकी भी जानकारी आवेदन पत्र में ली जावे तथा यह शर्त रखी जावे कि यदि इस संबंध में जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दी गई है तो बाद में उसे प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जावेगा।

मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु शेष दिशा-निर्देश गत वर्ष की तरह यथावत् रहेंगे।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि नोडल अधिकारी द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने वाले आवेदकों के चयन सूची बनाने के दौरान निम्न सावधानी रखी जावेगी-

1. आवेदकों की संपूर्ण सूची (अ-चयन सूची, ब-प्रतीक्षा सूची, स-संयुक्त सूची, द-निरस्त सूची) निर्धारित क्रम में ही तैयार की जावेगी।
2. आवेदकों की सूची निर्धारित कॉलम वाले प्रपत्र में ही अंकित की जावेगी।
3. अभ्यर्थी के अंको की प्रतिशत की गणना दशमलव के 2 स्थान तक व Round off को ध्यान पूर्वक किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में (ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड व अन्य) में अभ्यर्थी के नाम का मिलान स्पष्ट रूप से किया जावे।
5. नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा अनुमोदन उपरांत चयन सूची व अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों को संबंधित संस्था को प्रेषित की जावे।
6. भर्ती नियम के समकक्ष तकनीकी अहर्ता (Equivalency Degree) का ध्यान रखा जावे।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

प्राचार्य
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

संयुक्त संचालक(प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय औप्रसंस्थायें
बिलासपुर क्षेत्र, बिलासपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

14

पृ.क्र./संयु.संचा./बिलास/स्थाप/मे.प्र.आ./2024/ 1256 /बिलासपुर, दिनांक 12/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त प्राचार्य/संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं, बिलासपुर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय औप्रसंस्थायें
बिलासपुर क्षेत्र, बिलासपुर

प्राचार्य
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली,जिला-मुंगेली(छ.ग.)

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

②

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

जिला नोडल संस्था, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.) के अंतर्गत मुंगेली (छ.ग.) जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरूद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक 30/08/2024 समय-शाम 5:00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र जिला नोडल संस्था शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.) में जमा किये जा सकते है। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) :-

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय/विषय	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट (हिन्दी)	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पथरिया	वेल्डर	02	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोरमी	हॉस्पिटल हॉउस कीपिंग	02	
			विद्युतकार	01	
			फिटर	01	
			कुल	07	

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :--

स. क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
1	विद्युतकार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/ पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
2	वेल्डर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/ पत्रोपाधि उत्तीर्ण।

छ्यापित

9.1.26

जनसूचना अधिकारी
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औपसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

		3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
3	हॉस्पिटल हॉउस कीपिंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से पब्लिक हेल्थ/बायो साईस फिजियोलॉजी/नर्सिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण ।
4	फिटर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। . 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
5	स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था/ शीघ्र लेखन (शार्ट हैण्ड) मुद्र लेखन परिषद् से हिन्दी शीघ्र लेखन (शार्ट हैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में 01 वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण। 4. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।

टीपः— इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम " छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण(अराजपत्रित)तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।

1. (अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

3. मेहमान प्रवक्ताओ को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आंमत्रित किया जावेगा।

जनसूचना अधिकारी
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

अग्रेषित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

4. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नही होने अथवा आचरण संतोषजनक नही होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

5. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदो पर आंमत्रित मेहमान प्रवक्ताओ की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

6. मेहमान प्रवक्ता आंमत्रित करने की प्रकिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रकिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओ/व्यवसायो के लिये आंमत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओ/व्यवसायो पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।

8. पृथक-पृथक संस्थाओ/व्यवसायो के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा।

9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रू.140/- (रूपये एक सौ चालीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रू.15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) रूपये मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

10. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।

11. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नही है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेगें।

12. व्यवसाय- स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

13. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक -01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।

(ब) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन दिनांक 30/08/2024 समय-शाम 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ग्राम-जगकोर पोस्ट-देवरी तहसील मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन कोड 495334 में जमा किये जा सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

2. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

सत्यापित

9-1-26
संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

3. स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है। ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाये जाने पर आवेदन को निरस्त /अमान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।

4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन केवल प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ग्राम-जमकोर पोस्ट देवरी तहसील मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन कोड 495334 को ही किया जाना है। अन्य.संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

6. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।

7. यदि किसी आवेदक के विरूद्व महिला उत्पीड़न का अथवा अन्य कोई अपराधिक अथवा दाण्डिक अथवा अनुशासनहीनता का प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा एवं अन्य कार्यवाहीयां भी नियमानुसार की जा सकेगी।

8. पृथक-पृथक संस्थाओ/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य कर दिया जायेगा।

9. सर्वप्रथम उन आवेदकों का चयन किया जावेगा, जिन्होंनें संबंधित व्यवसाय में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण किया है एवं अंकसूची संलग्न किया है।

10. केवल व्यवसाय-सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी) एवं हॉस्पिटल हॉउस कीपिंग में निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र धारी आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य व्यवसायिक परीक्षा (SCVT) प्रमाण पत्र धारी आवेदकों के चयन पर विचार किया जा सकेगा। शेष समस्त व्यवसायों (स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी को छोडकर) राज्य व्यवसायिक परीक्षा (SCVT) के साथ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (NAC) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

11. व्यवसाय-स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में माडर्न आफिस मैनेजमेंट में डिग्री/डिप्लोमा को मान्य नहीं किया जायेगा।

12. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोंबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोंबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

13. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा उसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जाएगा तथा इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।

14. चयनित होने के उपरान्त आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने पर आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. जारी की जाने वाली चयनित सूचियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक-WP(S) No.4836/0F2020 श्री अनिल कुमार पाली एवं अन्य विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

सत्यापित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी ......
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

(स) <u>चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें</u> :-

1. व्यवसाय- स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिए चयन की कार्यवाही निम्न वरीयता के आधार पर की जावेगी-

(अ) सर्वप्रथम व्यवसाय- स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) हेतु चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय में शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण-पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(ब) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

(स) प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण-पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार कर की जावेगी।

(द) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

2. तकनीकी व्यवसायों के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगी-

(अ) प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/शिक्षुता परीक्षा/डिप्लोमा/डिग्री/पीजीडीसीए/ बीसीए/एमसीए) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।

(ब) ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

टीपः-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जावेगा।

2. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि /पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होगें उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

3. तकनीकी व्यवसायों (स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट -हिन्दी/अंग्रेजी को छोड़कर) के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो ऐसे प्रमाण पत्रों के उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यवसायिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

4. ऐसे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र जिनमें केवल प्रेक्टिकल एवं सेशनल के अंक दिये गये हैं, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो उनका उपयोग मेरीट सूची में नहीं किया जा सकेगा।

5. व्यवसाय-मैकेनिक मोटर व्हीकल/मैकेनिक डीजल/मैकेनिक ट्रैक्टर/ड्रायवर-कम-मैकेनिक के लिए हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

सत्यापित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औ0प्र0संस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

जनसूचना अधिकारी
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदित संस्था का नाम (जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है):-

....

2. व्यवसाय/विषय का नाम ....

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,

मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम :- ....

2. पिता का नाम :- ....

3. माता का नाम :- ....

4. जन्मतिथि :- ....

(शब्दो में) ....

5. क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवायें दी हैं उस संस्था का नाम/व्यवसाय/अवधी कब से कब तक :-..

....

6. अ) पत्राचार का पता :- ....

....

....

ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :-1............................ 2..............................

7. स्थायी पता:- ....

....

....

8. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1						
2						
3						
4						

9. अन्य :- सत्यापित ....

9-1-26
संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औ.प्र.संस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

(8)

टीप :- 1 योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।

2 प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।

3 छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।

4 यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में उल्लेख करना एवं संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबध मे जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

5. जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ही आवेदन पत्र प्रेषित करना है।

6. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो पूर्णतयः सत्य है।

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

सत्यापित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औ.प्र.संस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

जनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

(9)

शपथ पत्र

मैं सहमत हूँ कि-

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं सभी प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित करने पर मैं इस बात का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मेरे विरूद्व किसी भी महिला उत्पीड़न अथवा अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दाण्डिक प्रकरण अथवा अनुशासनहीनता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. मै कभी नियमित पद हेतु दावा नही करूंगा तथा यह चयन इस सत्र के लिए या आवश्यकता रहने तक या नियमित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिए मैं सहमत हूँ।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/ अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधिनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/ अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेगें।
6. मै एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिये आवेदन करता/करती हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउँगा दूसरे व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
7. मुझे ज्ञात है कि मेहमान प्रवक्ताओ की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित तिथि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के सरल कमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी कम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।
8. मैं यदि किसी संस्था में पूर्व में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता रह चुका/चुकी हूँ, तो उसका विवरण एवं छोड़ने संबंधी कारण तथा कार्य प्रणाली दर्शाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्नक :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

....

मों. नं..

सत्यापित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औपसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner

(13)

निरस्त

शपथ पत्र संलग्न नहीं है

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

OK

निरस्त शपथ पत्र संलग्न नहीं है।

आवक क्र. 4440 दि. 29/08/24

बसंत कुमार

1. संस्था का नाम (जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है): शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली जिला मुंगेली

2. व्यवसाय/विषय का नाम स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट (हिन्दी)

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,

मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम :- बसंत कुमार
2. पिता का नाम :- भरत लाल
3. माता का नाम :- रानी
4. जन्मतिथि :- 27/06/1996

   (शब्दो में) सत्ताईस जून सन् उन्नीस सौ छियान्वे
5. क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवायें दी हैं उस संस्था का नाम/व्यवसाय/अवधी कब से कब तक :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ राजस्थान (312605) स्टेनोग्राफर मार्च 2015 से जुलाई 2017 और जुलाई 2018 से फरवरी 2020 और अगस्त 2020 से जुलाई 2021
6. अ) पत्राचार का पता :- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाँसवाड़ा रोड़ प्रतापगढ़ (राजस्थान)

   ब) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :-1. 7247029624 2. 9752526208
7. स्थायी पता:- ग्राम-गाजियाँ नवागाँव पो. आ. मुंगेली तह. मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) 495334
8. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	10वीं	2013	C.G. open school Raipur	सामान्य	500	192
2	12वीं	2015	C.G. Board Raipur	स्टेनो	950	650
3	बी ए.	2019	ABVP-Bilaspur	कला	1800	1413
4	पी०जी०डी०सी०ए०	2020	mats university Raipur	सामान्य	1100	661
5	ITI	2018	NCVT	स्टेनो	400	297
6	CTI	2022	NSTI Jaipur	स्टेनो	900	824

सत्यापित

संयुक्त संचालक (प्रशि.) 9-1-26

क्षेत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थायें,

जनसूचना अधिकारी

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़

सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

सत्यापित

शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

टीप :- 1 योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।

2 प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।

3 छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।

4 यदि अभ्यर्थी का किसी भी आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में उल्लेख करना एवं संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध मे जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

5. जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ही आवेदन पत्र प्रेषित करना है।

6. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो पूर्णतयः सत्य है।

हस्ताक्षर ....बसंत कुमार....

आवेदक का नाम ....बसंत कुमार....

प्राचार्य
शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

सत्यापित

9.1.26
संयुक्त संचालक (प्रशि.)
क्षेत्रीय कार्यालय, औप्रसंस्थायें,
बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

जनसूचना अधिकारी ....
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़
सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रदत्त

Scanned with OKEN Scanner